उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्याः 1813/V–2/2017–05(आ0)/2017
देहरादूनः दिनांक 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–5148/11–5–89–69बैठक/89 दिनांक 21.10.1990 द्वारा नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था,

और चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की कमशः अधिसूचना संख्याः 3160/आ0–5–94 दिनांक 07.09.1994, अधिसूचना संख्या–2273/09–96–69एम/89, दिनांक 01 जुलाई, 1996 तथा अधिसूचना संख्या–134/09–आ0–5–99–69एम/89 दिनांक 19.03.1999, अधिसूचना संख्या–1858/V-2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त प्राधिकरण में आंशिक रूप से उसके क्षेत्र के सम्बंध में संशोधन किया गया था,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1872/V-2/60(आ0)15/2016, दिनांक 21.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या–794/V-2/आ0–60(आ0)/2015, दिनांक 26.05.2016 द्वारा कमशः हल्द्वानी–काठगोदाम एवं रामनगर विनियमित क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 794/V–2–आ–2016–60(आ0)/2015 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से जिला नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों का ऐसा भू–भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था,

और चूंकि सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में उचित है, अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 से जिला नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में उक्तवत मैदानी क्षेत्रों के भू–भाग को जिला स्तरीय नैनीताल विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया जाय,

अतः राज्यपाल, अब, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2016 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए जिला नैनीताल के उक्त भू–भाग को कमशः नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण रामनगर तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी–काठगोदाम को समाप्त करते हुए जिला नैनीताल के समस्त स्थानीय नगर निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिकाएं तथा नगर पंचायतें (छावनी परिषद को छोड़कर) एवं जिला नैनीताल के पर्वतीय भू–भाग का राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर तक कि समस्त राजस्व ग्राम जिनकी सूची संलग्न की जा रही है, को सम्मिलित करते हुए जिला स्तरीय नैनीताल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या –1813/V–2/2017–05 (आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या –1813 /V–2/2017–05 (आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूॅ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, नैनीताल।
7– अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।